# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : केशरकुंवर | विपक्षी :राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या : 09/23

कमांक

**कार्यवाही विवरण**

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर नवीन भू–प्रबंधन के बाद प्रार्थीया की खातेदारी आराजी का रकबा कम करने का कथन कहा गया जिस पर तहसीलदार कानोड़ को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया के कथनानुसार साबिक आराजी नंबर 2096 रकबा 7 बिघा 09 बिस्वा भूमि में नवीन भू–प्रबंधन के बाद प्रार्थीया की आराजी का रकबा कम कर दिया गया जिस पर प्रार्थना पत्र पेश कर रकबा शुद्व किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि ग्राम हींता की जमाबंदी संवत् 2052–55 खाता संख्या 745 की आराजी नंबर 2096 रकबा 7 बिघा 09 बिस्वा भूमि श्रीमती केशर कुंवर पति श्री शम्भूसिंह राजपुत 94/121 संतोष पत्नी शशिकान्त जोशी 27/121 के नाम दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त बाद उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 546 की आराजी नंबर 4241, 4242, 4254, 4258, 4259, 4260 किता 6 रकबा 1.21 हैक्टेयर पूर्ववत उपरोक्त खातेदारों के नाम वर्तमान में दर्ज रकर्ड है। पूर्ववत रकबा 1.60 है. के बजाय नवीन बंदोबस्त बाद रकबा 1.21 हे. दर्ज होकर 0.39 है. कम हो गया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया मौके पर जिस स्थिति में पूर्ववत काबिज थी। भूप्रबंधन के बाद वर्तमान में भी उस स्थिति में काबिज है। आस पास स्थित आराजी न. खातेदारी होकर पूर्ववत रकबे अनुसार ही है चूकि भूमि आवंटित भूमि है आवंटी जिस अवस्था काबिज था उसी अवस्था में प्रार्थीया द्वारा भूमि कय की गई थी। आस पास ऐसी बिलानाम भूमि उपलब्ध नही है जिससे रकबा पूर्ववत किया जा सके। प्रकरण में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार कानोड़ से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया। हमने पाया कि प्रार्थीया ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी खाते से भूमि कम हुई तो किस आराजी में बढ़ी है। तहसीलदार के अनुसार भूमि कय की है तथा जिससे कय की उसको भूमि आवंटित हुई थी तथा आंवटी भी जितनी भूमि पर काबिज था वहीं पर प्रार्थीया भी काबिज है क्योंकि आस पास में किस आराजी में रकबा बढ़ा है यह प्रार्थीया [illegible] नहीं कर पाई है अतः प्रार्थना पत्र में मांगी गई दाद [illegible] समर्थ नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं पाए जाने पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.31 12:29:57 IST
Reason: SelfAttested

**–: आदेश :–**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।